

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 46 / 16ए इ0दी0

संस्थापन दिनांक : 30.06.2015

1. बाबूसिंह पुत्र लाखाराम आयु 65 साल
2. रामसिंह पुत्र लाखाराम आयु 61 साल
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री शंकरसिंह आयु 70 साल
4. सुधरसिंह पुत्र रानाजीतसिंह आयु 50 साल
5. वीरेन्द्रसिंह आयु 40 साल
6. जयवीरसिंह आयु 37 साल
7. पुत्तूसिंह आयु 33 साल
8. सुरेन्द्रसिंह आयु 30 साल पुत्रगण रामप्रसाद
9. श्रीमती विटन्सादेवी आयु 60 साल पत्नी रामप्रसाद सिंह समस्त जाति गुर्जर ठाकुर निवासीगण ग्राम बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड

---वादीगण

बनाम

1. गंगासिंह पुत्र सोवरनसिंह आयु 71 साल जाति गुर्जर ठाकुर, निवासी ग्राम बघराई तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. म0प्र0राज्य शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड

---प्रतिवादीगण

निर्णय

(आज दिनांक..... को घोषित)

1. यह वाद भूमि खसरा क्रमांक 171 रकवा 0.39 स्थित ग्राम बघराई परगना गोहद जिसका बन्दोवस्त के पूर्व का सर्वे नंबर 622/2 था (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा) पर वादीगण को भूमिस्वामी घोषित किए जाने और प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध वादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करे और विवादित भूमि को हस्तांतरित न करने की स्थायी

निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत है कि विवादित भूमि का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 622/2 था यह भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वग्न-2, गोहद के न्यायालय में व्यवहार प्र0क्र0 86/2014 गंगासिंह बनाम रघुनाथसिंह आदि के नाम से प्रस्तुत किया था।
3. वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि भूमि स्थित ग्राम बघराई खसरा क्रमांक 171 रकबा 0.39 के वादीगण के पूर्वज रिकार्डेड मौरुसी कृषक होकर आधिपत्यधारी थे। वादीगण को छिपाकर गलत रूप से प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादीगण को बिना पक्षकार बनाये न्यायालय सिविल जज वर्ग-2 गोहद के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 86/14ए इ.दी. गंगासिंह बनाम रघुनाथसिंह वगैरह प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में वादीगण ने पक्षकार बनने हेतु दिनांक 23.02.15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा आदेश प्र0पी-4 दिनांक 17.04.15 को निरस्त कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दावे में वादीगण को पक्षकार बनाये बिना दावा पेश किया जबकि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि के संबंध में धारा 115, 116 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता (जिसे आगे के पदों में संहिता के रूप में संबोधित किया जायेगा) के अंतर्गत वादीगण के मूरसान, लाखारामसिंह, शंकरसिंह पुत्रगण सूरजपाल सिंह भाग 1/4, रानाजीतसिंह पुत्र हीरासिंह भाग 1/4, जाति गुर्जर ढाकुर निवासी ग्राम बघराई तहसील गोहद जिनकी मृत्यु हो गयी है के विरुद्ध आवेदन पत्र दिनांक 12.08.13 को न्यायालय तहसीलदार परगना गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो संचालित है तथा वादीगण द्वारा भी भूमि स्वामी बनने हेतु धारा 190, 110 भू-राजस्व संहिता के तहत आवेदन पत्र प्र0पी-7 दिनांकित 04.10.13 को प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रतिवादीगण को यह जानकारी थी कि उपरोक्त भूमि के वादीगण के मूरसान का मौरुसी कृषक के रूप में इन्द्राज है लेकिन उन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया और गलत रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्र0पी-5 प्राप्त कर लिया है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्र0पी-5 के आड़ में वादीगण के द्वारा बोई गई फसल को प्रतिवादीगण द्वारा काटने की बातचीत गांव में दिनांक 21.02.15 को कर रहा था।
4. वादपत्र में यह भी अभिवचन किया है कि विवादित भूमि के वादीगण के पूर्वज मौरुसी कृषक थे और उनका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में जमींदारीकाल एवं जमींदारी के पश्चात से है और उसी इन्द्राज के अनुसार वादीगण काबिज होकर खेती कर रहे हैं। प्रतिवादीगण का स्वत्वहीन भूमि स्वामी के रूप में इन्द्राज है। अतः वादीगण उक्त भूमि के भूमि स्वामी आधिपत्यधारी हैं जब तक वादीगण के मूरसान जीवित रहे वे काबिज होकर खेती करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण वहसियत भूमि स्वामी काबिज होकर खेती कर रहे हैं और मौके पर वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आज तक किसी भी हैसियत से खेती नहीं की है और ना ही उसका मौके पर कब्जा है। अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्र0पी-7 वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। वादीगण के मूरसान उक्त विवादित भूमि के मौरुसी कृषक थे इसलिए भू-राजस्व संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक 02.10.1959 से स्वत्व भूमि स्वामी उद्भूत हो चुके हैं। अतः विवादित भूमि पर वादीगण का मौरुसी कृषक होने से उन्हें भूस्वामी के अधिकार उद्भूत होने की घोषणा और इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि विवादित भूमि पर वादीगण के कब्जा व काश्त में प्रतिवादी किसी भी प्रकार की बाधा पैदा न करें और रहन व्यय विक्रय करके हस्तांतरण न करें।
5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादपत्र के तथ्यों को

अस्वीकार कर व्यक्त किया है कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष दावा संचालन के दौरान विधिवत आवेदकगण को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पेश किया था परन्तु न्यायालय द्वारा आवश्यक न समझने से निरस्त किया गया था उसके बाद आवेदकगण की ओर से पुनः न्यायालय में आवेदन आदेश 1 नियत 10 सीपीसी का पेश किया था वह भी न्यायालय द्वारा वादीगण को आवश्यक पक्षकारान होने से दिनांक 17.04.15 को निरस्त किया गया था। अनावेदक द्वारा तहसील में जो भी कार्यवाही की थी वह राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज मौरूसी कृषक का चला आ रहा था उसे निरस्त कराने के लिए कार्यवाही की गयी थी। आवेदकगण के मूरसान की कब किस दिनांक को मृत्यु हुई यह आवेदकगण ने स्पष्ट नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से भू-राजस्व संहिता की धारा 190, 110 के तहत जो कार्यवाही की है वह बेरुनमियाद अवधि बाह्य की गयी है। आदेश प्र0पी-4 दिनांक 17.4.15 अपील एवं निगरानी योग्य होते हुए भी आवेदकगण द्वारा उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की थी। मौरूसी कृषक के गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर अनावेदक द्वारा संबंधित राजस्व न्यायालय में धारा 115, 116 भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की है जो संचालित है परन्तु आवेदकगण को मौरूसी कृषक होने के इन्द्राज की जानकारी जमींदारीकाल से थी तो उन्होंने एक लम्बे अर्से के भूमि स्वामी बनने की कार्यवाही क्यों नहीं की। आवेदकगण का वाद भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी की भूमि को हड़पने के लिए गलत दावा पेश किया है। वादीगण के पूर्वाधिकारी और वादीगण ने जमींदारी काल से आज दिनांक तक इन्द्राज दुरुस्त कराने की या भूमि स्वामी घोषित करने की कोई कार्यवाही नहीं की है जबकि उन्हें जमींदारी काल से ही जानकारी थी इसलिए वाद परिसीमा के बाहर है। वादीगण ने कब्जा प्राप्ति की सहायता नहीं चाही है अतः दावा धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन परिचालन योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण को वादीगण के दावे की जानकारी थी और उक्त दावे में अंकित निर्णय पारित कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को भूमिस्वामी अधिपत्यधारी घोषित किया है जो वादीगण पर बंधनकारी है। अतः वाद सब्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 2 वादोत्तर पेश नहीं किया है और वह प्रकरण में एकपक्षीय रहा है।
7. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्न विरचित किए गए हैं जिन पर प्राप्त निष्कर्ष प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जायेगा।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या भूमि खसरा क्रमांक 171 रकवा 0.39 है 0 मौजा बघराई परगना गोहद जिला भिण्ड जिसका बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 622/2 था, पर वादीगण को स्वत्व प्राप्त हो गये हैं ?
2. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का उनक पूर्वजों के समय से स्थापित आधिपत्य है ?
3. क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 वादीगण के विवादित भूमि में आधिपत्य में अवैध

हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है ?

4. क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है ?

4. क्या वाद परिसीमा अवधि में पेश किया गया है ?

5. सहायता एवं व्यय ?

// वाद प्रश्न क्रमांक 1, व 2 पर सकारण निष्कर्ष //

8. वीरेन्द्रसिंह वा0सा01 ने कथन किया है कि विवादित भूमि के वादीगण मौरुसी कृषक होकर अधिपत्यधारी थे जिस पर वह खेती कर रहे हैं। वादीगण को छिपाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बिना वादीगण को पक्षकार बनाये न्यायालय सिविल जज वर्ग-2 गोहद के न्यायालय में प्र0क्र0 86/14 गंगासिंह बनाम रघुनाथ सिंह संचालित किया जिसमें वादीगण ने पक्षकार बनाये जाने के लिए दिनांक 23.02.15 को आवेदन पेश किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.15 को आदेश प्र0पी-4 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 12.08.13 को न्यायालय तहसीलदार गोहद के समक्ष वादीगण के पूर्वाधिकारीगण लाखाराम और शंकरसिंह भाग 1/4, राजाराम भाग 1/4, रानाजीत भाग 1/4 जिनकी मृत्यु हो चुकी है के विरुद्ध आवेदन प्र0पी-14 पेश किया था वादीगण ने भी भूमिस्वामी बनने के लिए धारा 190, 110 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अधीन दिनांक 4.10.13 को आवेदन प्र0पी-7 प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिवादी क्रमांक 1 को जानकारी थी कि विवादित भूमि के वादीगण के मूरसान का मौरुसी कृषक के रूप में इन्द्राज है। इसलिए प्रकरण के वादीगण आवश्यक पक्षकार हैं लेकिन उन्हें बिना पक्षकार बनाये गलत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्र0पी-5 प्राप्त कर लिया है जिसकी आड में जो वादीगण द्वारा फसल बोई गयी है और खड़ी है उसे प्रतिवादी क्रमांक 1 काटने के प्रयास में है। वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि के मौरुसी कृषक थे और उनका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में जमींदारी काल से एवं उसके पश्चात से है और उसी इन्द्राज के अनुसार वादीगण काबिज होकर खेती कर रहे हैं। लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वत्व ही भूमिस्वामी का इन्द्राज है मौरुसी कृषक संहिता प्रभावशील होने के पश्चात से विधि के प्रभाव से स्वत्व उदभूत हो चुके हैं इस कारण वादीगण भूमि के भूस्वामी हैं जब तक वादीगण के पूर्वाधिकारी जीवित थे वह खेती करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण खेती कर रहे हैं और उन्हीं का कब्जा है प्रतिवादी क्रमांक 1 ने खेती नहीं की है और ना ही उनका मौके पर कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण के विरुद्ध प्राप्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्र0पी-5 वादीगण पर बंधनकारी नहीं है।
9. साक्षी राजेन्द्र वा0सा03 और पुलन्दर वा0सा02 ने भी विवादित भूमि के वादीगण के पूर्वाधिकारी मौरुसी कृषक होने और विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य होने और प्रतिवादी क्रमांक 1 का अधिपत्य न होने के वीरेन्द्रसिंह वा0सा01 द्वारा दिए कथन का मुख्यपरीक्षण में समर्थन किया है।
10. गंगासिंह प्र0सा01 ने कथन किया है कि उसने पूर्व में एक दावा प्र0पी-3 प्रस्तुत किया था जिसमें वादी को पक्षकार बनाये जाने के लिए आवेदन

पेश किया था जो न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। वादीगण ने प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बाबत आवेदन पेश किया था जो दिनांक 17.04.15 को निरस्त किया गया जिसके खिलाफ वादीगण ने कोई कार्यवाही नहीं की है। उसे वादीगण के गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर उसने राजस्व अभिलेख में मौरुसी कृषक के इन्द्राज को निरस्त कराने की कार्यवाही की है जो संचालित है विवादित है वादीगण के पूर्वाधिकारी की कब मृत्यु हुई यह उल्लिखित नहीं है। वादीगण ने तहसील में जो धारा 190, 110 की कार्यवाही की है वह बेरुनमियाद है। जब वादीगण को मौरुसी कृषक के इन्द्राज की जानकारी जमींदारीकाल से थी तब भी उन्होंने आज तक क्यों कार्यवाही नहीं की यह नहीं बताया है। वादीगण ने कब्जे की कोई सहायता नहीं चाही है। प्र०क्र० 86/14 में पारित डिक्री प्र०डी-1 दिनांक 28.09.15 से उसे भूमिस्वामी घोषित किया गया है जिसकी जानकारी भी वादीगण को यथासमय से ही है लेकिन उसके खिलाफ भी वादीगण ने कोई कार्यवाही नहीं की है इसलिए वह वादीगण पर बंधनकारी है।

11. कल्याणसिंह प्र०सा००२ और रामनरेश प्र०सा००३ ने विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा होना और वादीगण और उनके पूर्वजों का कब्जा न होने के संबंध में गंगासिंह प्र०सा००१ द्वारा दिए गए कथन का मुख्यपरीक्षण शपथपत्र में समर्थन किया है।

- 12- प्रकरण में स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय सिविल जज वर्ग-2 के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 86/2014 प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में आदेश प्र०पी-4 के द्वारा आवेदकगण द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत AIR 1977 ORISSA 183 Pravat Kumar Misra v. Prafulla Chandra Misra and another में प्रतिपादित किया गया है कि

This Revision arises out of Title Suit No. 10 of 1974 instituted by the petitioner for recovery of arrear of rent from and for the eviction of opposite party No. 1 in this revision from the suit house. The defendant in this suit, opposite party No. 1 herein, did not appear and contest the suit. At that stage opposite party No. 2 in this revision filed a petition in the trial Court for impleading him as a party-defendant in the said suit. He claims to be impleaded as a party-defendant in the suit (T. S. No. 10 of 1974) on the ground that he has title to the suit house and the plaintiff has no title to that property. Opposite party No. 2 has filed another suit (Title Suit No. 16 of 1974) in the same court claiming title to the same suit house. The suit by the petitioner is for recovery of rent and eviction of defendant No. 1 from the suit house on the allegation that defendant No. 1 was inducted as a tenant in that house by petitioner. If opposite party No. 2 is allowed to be impleaded and to contest this suit, then the plaintiff's simple suit for recovery of rent from and eviction of his alleged tenant will be converted mainly into a complex title suit between the plaintiff and opposite party No. 2, and the relief asked for in the original suit will pale into secondary importance. Apart from that consideration, opposite party No. 2 has himself filed a title suit (Title Suit No. 16 of 1974) in the same court claiming title to the suit house. The petitioner herein is a party in that suit. If opposite party No. 2 is not impleaded in Title Suit No. 10 of 1974 the decision in this suit will not in any manner bind or affect the right, title or interest of opposite party No. 2 in the suit house.

13. उक्त उपरोक्त **पर्वत मिश्रा** के न्यायदृष्टांत के तथ्य वर्तमान प्रकरण

में भी लागू होते हैं। वादपत्र प्र0पी-3 के अनुसार उक्त वाद में वर्तमान वादीगण के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है और ना ही उनके द्वारा कब्जे में हस्तक्षेप करने की बात उल्लिखित की गयी है और रघुनाथ, पुलन्दर वा0सा02, दशरथ के विरुद्ध निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद में अगर वादीगण को पक्षकार बनाया जाता तो उक्त साधारण निषेधाज्ञा का वाद उपरोक्त न्यायदृष्टांत **पर्वत मिश्रा** के आलोक में स्वत्व के वाद में परिवर्तित हो जाता जबकि वादीगण को प्रथक से वाद लाने का अधिकार अवशेष रहता है और उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में प्रस्तावित पक्षकार वादीगण को पक्षकार न बनाये जाने से स्वत्व के संबंध में निर्णय उन पर बंधनकारी नहीं है।

14. अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद में वादीगण को उपरोक्त **पर्वतकुमार मिश्रा** के न्यायदृष्टांत के आलोक में उचित रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया है और उक्त पूर्व में प्रस्तुत वाद में न्याय निर्णय वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। इस संबंध में वादी ने न्यायदृष्टांत **सोनाबाई बनाम वेशाखिन्नबाई व अन्य 1982 राजस्व निर्णय 292** प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार नामांतरण प्रकरण जिससे उद्भूत सिविल प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार न बनाये जाने पर सिविल न्यायालय का निर्णय उन पर बंधनकारी नहीं है। वादी ने आदेश प्र0पी-5 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्र0क0 86ए/14 में गंगासिंह प्र0सा01 का रघुनाथसिंह आदि के विरुद्ध प्रस्तुत अधिपत्य संरक्षण हेतु अस्थायी व्यादेश का आवेदन स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी ने भी प्र0क0 86ए/14 में पारित निर्णय व डिक्री प्र0डी-1 प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार गंगासिंह प्र0सा01 का विवादित भूमि पर अधिपत्य प्रमाणित होने से रघुनाथ, पुलंदर वा0सा02 और दशरथ के विरुद्ध अधिपत्य संरक्षण हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है लेकिन उक्त प्र0क0 86ए/14 में वादीगण पक्षकार नहीं थे। इसलिए उपरोक्त **पर्वत मिश्रा** के न्यायदृष्टांत के आलोक में दिया गया विनिश्चय वादीगण पर बंधनकारी नहीं है।
15. वादीगण ने विवादित भूमि का खसरा प्र0पी-17 संवत् 2014 अर्थात् वर्ष 1957-58 प्रस्तुत किया है जिसमें सर्वे क्रमांक 622/2 अर्थात् विवादित भूमि का बंदोवस्त के पूर्व का सर्वे क्रमांक में लाखाराम, शंकरसिंह, 1/4 भाग, राजाराम 1/4 भाग, रानाजीत 1/4 भाग और धनीराम 1/4 भाग के उपकृषक उल्लिखित हैं। अधिकार अभिलेख प्र0पी-6 में भी लाखाराम आदि की मौरूसी कृषक के रूप में इन्द्राज उल्लिखित है जिस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 मात्र यही आपत्ति है कि जमींदारी काल से ज्ञान में होने के बाद भी वादीगण और उनके पूर्वाधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।
16. वीरेन्द्रसिंह वा0सा01 ने भी पैरा 8, पैरा 11 और 12 में स्वीकार किया है कि वर्ष 1959 से उसके पूर्वजों ने विवादित भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की और वादीगण के मौरूसी कृषक होने की उसे 20-25 वर्ष से जानकारी थी लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की और वर्ष 2013 में कार्यवाही प्रारंभ की है। पुलन्दर वा0सा02 ने भी पैरा 4 में स्वीकार किया है कि जमींदारीकाल से लेकर आज तक वादीगण ने विवादित भूमि को अपने नाम अंकित कराने की कोई कार्यवाही नहीं की है। इस संबंध में वादीगण ने न्यायदृष्टांत **हरविलास बनाम जण्डेलसिंह व अन्य 1987 राजस्व निर्णय 167** प्रस्तुत किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां भूमिस्वामी ने भूमि पुर्नग्रहण की कार्यवाही नहीं की है वहां संहिता की धारा 190 के अनुसार यह माना जायेगा कि वादीगण को मौरूसी काश्तकार होने से भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इसी आशय का

मत न्यायदृष्टांत **गजराजसिंह बनाम जगतसिंह व अन्य 1970 राजस्व निर्णय 133** में माननीय म०प्र०उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

17. अतः उक्त न्यायदृष्टांत **हरविलास बनाम जण्डेलसिंह व अन्य 1987 राजस्व निर्णय 167** एवं **गजराजसिंह बनाम जगतसिंह व अन्य 1970 राजस्व निर्णय 133** में प्रतिपादित विधि के अनुसार अगर भूमि स्वामी ने संहिता की धारा 189 के अधीन पुनर्ग्रहण की कार्यवाही नहीं की है तो विधि के प्रभाव से स्वमेव मौरुसी कृषक को संहिता प्रभावशील होने के पश्चात भूस्वामी के अधिकार उदभूत हो जायेंगे। अतः वीरेन्द्रसिंह वा०सा०१ और पुलन्दर वा०सा०२ के उक्त कथन से ही जमींदारी काल से जानकारी होने के उपरांत भी वादीगण ने या उनके पूर्वाधिकारीगण ने भूमिस्वामी होने की कोई कार्यवाही नहीं की है से प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 189 के अधीन पुनर्ग्रहण की कार्यवाही न किए जाने पर विधि के प्रभाव से मौरुसी कृषक को भूस्वामी के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं।
18. अतः अधिकार अभिलेख प्र०पी-16 व 17 से संहिता के प्रभावशील होने की दिनांक को लाखाराम, शंकरसिंह, राजाराम रानाजीत विवादित भूमि के 3/4 भाग के मौरुसी कृषक अंकित होना प्रमाणित होते हैं शेष 1/4 भाग पर अंकित धनीराम के संबंध में किसी भी पक्ष ने कोई अभिवचन नहीं किया है विहित अवधि में प्रतिवादी क्रमांक 1 या उसके पूर्वाधिकारी ने संहिता प्रभावशील होने के उपरांत पुनर्ग्रहण की कार्यवाही की, ऐसा ना तो अभिवचन किया गया है और ना ही साक्ष्य दी गयी है। अतः विहित अवधि में पुनर्ग्रहण की कार्यवाही के अभाव में उपरोक्त **हरविलास व गजराजसिंह** के न्यायदृष्टांत के आलोक में लाखाराम, शंकर, राजाराम, रानाजीत विवादित भूमि के मौरुसी कृषक होना, तथा उन्हें संहिता की धारा 190 के प्रभाव से उन्हें भूस्वामी के अधिकार प्राप्त होना प्रमाणित होता है।
19. वादी क्रमांक 1 व 2 लाखाराम की संतान है वादी क्रमांक 3 शंकरसिंह की संतान है वादी क्रमांक 4 रानाजीत की संतान है और वादी क्रमांक 5,6,7 व 8 रामप्रसाद की संतान और वादी क्रमांक 9 रामप्रसाद की पत्नी हैं। लाखाराम, शंकर, रानाजीत, रामप्रसाद भी विवादित भूमि के मौरुसी कृषक होने से संहिता की धारा 190 के अधीन भूस्वामी होना प्रमाणित हुए हैं और संहिता की धारा 192 के अनुसार मौरुसी कृषक के उक्त अधिकार हिन्दू स्थायी विधि के अधीन विरासत द्वारा संक्रान्त होंगे। अतः संहिता की धारा 192 के अधीन लाखाराम, शंकरसिंह, रानाजीत और रामप्रसाद के उत्तराधिकारी होने से वादीगण विवादित भूमि पर भूस्वामी के अधिकार प्राप्त रखते हैं।
20. वीरेन्द्रसिंह वा०सा०१ ने पैरा 12 में और राजेन्द्र वा०सा०३ ने पैरा 4 में इंकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 2013-14 में चने की फसल थी जबकि खसरा प्र०पी-18 में चने की फसल का उल्लेख है। उक्त दोनों साक्षीगण विवादित भूमि का सर्वे क्रमांक बताने में भी असमर्थ रहे हैं जबकि अधिपत्य को सिद्ध करने का भार वादीगण पर ही है। अधिपत्य के संबंध में राजेन्द्र वा०सा०३ ने मुख्यपरीक्षण में दिए कथन का प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में दिए कथन से खण्डन किया है और बताया है कि उसने ग्राम बघराई की जमीन नहीं देखी है जबकि मुख्यपरीक्षण में उसने ग्राम बघराई रोज जाना बताया है और विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा बताया है। राजेन्द्र वा०सा०३ पैरा 5 में भी विवादित भूमि की चतुरसीमा के किसी भी सर्वे नंबर को स्पष्ट नहीं कर सका है। अतः राजेन्द्र वा०सा०३ द्वारा अधिपत्य के संबंध में दिए कथन को उसने प्रतिपरीक्षण में खण्डित किया है।
21. वीरेन्द्रसिंह वा०सा०१ ने पैरा 11 में कथन किया है कि उनकी ग्राम

मेघपुरा में कृषि भूमि है और ग्राम बघराई मौजे में जमीन पूर्वजों के समय से थी वह उन्होंने विक्रय कर दी है जो रघुनाथसिंह ने ली है और रघुनाथसिंह का पुत्र पुलन्दर वा0सा02 है वह और रघुनाथसिंह अलग-अलग परिवार के हैं। पुलन्दर वा0सा02 ने भी पैरा 4 में स्वीकार किया है कि कुछ जमीन वादीगण के पूर्वज उसके पिता रघुनाथसिंह को विक्रय कर गये थे और उसे जानकारी नहीं है कि वादीगण के पूर्वज ग्राम बघराई को छोड़कर ग्राम मेघपुरा कब गये। राजेन्द्र वा0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है कि लाखाराम, शंकरसिंह, रामप्रसाद, रानाजीत उसके खास मामा हैं जो ग्राम मेघपुरा में हैं जो तहसील मेहगांव में पड़ता है और वह ग्राम मेघपुरा में 40 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं और वहीं उनकी खेती है और जो ग्राम बघराई में उनकी खेती थी वह वादीगण के पूर्वज रघुनाथसिंह अर्थात् पुलन्दर वा0सा02 के पिता को विक्रय कर गये हैं और पैरा 4 में बताया है जब से वादीगण के पूर्वज ग्राम मेघपुरा रहने लगे तब से उसका मेघपुरा आना जाना है और जब वादीगण के पूर्वज ग्राम बघराई रहते थे तब वह काफी आता जाता था। अतः वीरेन्द्रसिंह वा0सा01 के कथन से स्पष्ट होता है कि उसके पूर्वाधिकारियों ने विवादित भूमि को रघुनाथ को विक्रय किया। राजेन्द्र वा0सा03 जिसके लाखाराम आदि खास मामा हैं के भी उपरोक्त कथन से यही स्पष्ट होता है कि वादीगण के पूर्वज विवादित भूमि को रघुनाथ को विक्रय कर गये हैं और रघुनाथ के पुत्र पुलन्दर वा0सा02 ने भी उपरोक्तानुसार स्वीकार किया है वादीगण के पूर्वज व रघुनाथसिंह के मध्य विक्रय संव्यवहार हुआ है। इस प्रकरण में रघुनाथसिंह अथवा पुलन्दर वा0सा02 पक्षकार नहीं हैं और वादीगण या उनके पूर्वाधिकारी द्वारा रघुनाथसिंह को विवादित भूमि विक्रय किए जाने के तथ्य को वादपत्र में छिपाया गया है।

22. संहिता की धारा 195 के अनुसार कोई भी मौरूसी कृषक भूमि के अपने अधिकार को विक्रय अंतरित करने का हकदार नहीं है और ऐसा संव्यवहार संहिता की धारा 197 के अधीन शून्यकरणीय है। उक्त संहिता की धारा 195 के परन्तुक के अधीन रघुनाथ या पुलन्दर वा0सा02 आते हैं, ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। वीरेन्द्रसिंह वा0सा01 ने स्वीकार किया है कि रघुनाथ और उनका परिवार अलग-अलग है। अतः संहिता की धारा 195 (2) के अनुसार रघुनाथ विरासत में भी विवादित भूमि प्राप्त करने का पात्र न होने से भी वादीगण का मामला अपवाद में नहीं आता है। अतः वादीगण जोकि मौरूसी कृषक हैं और उन्हें भूस्वामी के अधिकार उद्भूत होना प्रमाणित हुआ है वह संहिता की धारा 195 के अधीन रघुनाथसिंह को विवादित भूमि अंतरित करने में असक्षम थे और असक्षम होने के उपरांत भी उन्होंने विवादित भूमि को रघुनाथ को विक्रय किया है जिससे सर्वप्रथम विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य होने के तथ्य का खण्डन होता है और द्वितीय रूप से संहिता की धारा 197 के अनुसार भूमिस्वामी को ऐसा संव्यवहार निरस्त कराने का अधिकार उत्पन्न होता है।

23. कब्जे के संबंध में निर्णय प्र0डी-1 के अनुसार रघुनाथ, पुलन्दर वा0सा02 व दशरथ के विरुद्ध विनिश्चय दिया जा चुका है जो वर्तमान में प्रभावशील है उक्त प्रकरण में रघुनाथ आदि पक्षकार थे और उक्त निर्णय प्र0डी-1 के अनुसार विवादित भूमि पर रघुनाथ, पुलन्दर वा0सा02 व दशरथ का वैध अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि पर वादीगण ने अधिपत्य त्याग दिया है और जिसके पक्ष में अधिपत्य त्यागा है वह निर्णय प्र0पी-1 के अनुसार अधिपत्य में होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः विवादित भूमि पर प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः

वादीगण का अधिपत्य होना भी प्रमाणित नहीं होता है।

24. अतः वीरेन्द्रसिंह वा0सा01 व राजेन्द्र वा0सा03 के कथन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि को वादीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा विक्रय कर दिया गया है जिससे विवादित भूमि पर वादीगण के अधिपत्य का स्वमेव खण्डन होता है। अधिपत्य के संबंध में उक्त दोनों साक्षीगण ने भी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है। अतः स्वत्व अंतरण के प्रभाव से संहिता की धारा 195 का उल्लंघन होता है और ऐसे संव्यवहार को शून्यकरणीय कराने का अधिकार प्रतिवादी क्रमांक 1 को उत्पन्न होता है।
25. वादीगण ने गंगासिंह प्र0सा01 के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत संहिता की धारा 190, 110 प्र0पी-7 और उक्त आवेदन पर उद्भूत प्रकरण क्रमांक 12/2014-15/अ-6 की आदेश पत्रिका प्र0पी-6 और उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा रामप्रसाद की मृत्यु होने पर विधिक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होने के लिए आवेदन प्र0पी-8 प्रस्तुत किया है। गंगासिंह प्र0सा01 द्वारा न्यायालय तहसीलदार वृत्त गोहद के प्र0क्र0 219-2014-15बी121 गंगासिंह बनाम पुलन्दर में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत संहिता की धारा 250 प्र0पी-11 उक्त प्रकरण की आदेश पत्रिका प्र0पी-9 प्रस्तुत की है और गंगासिंह प्र0सा01 द्वारा संहिता की धारा 115, 116 का वादीगण के पूर्वाधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन प्र0पी-14 और आदेश पत्रिका प्र0पी-12 प्रस्तुत की है जिसमें उसने वादीगण का नाम विलोपित किए जाने की प्रार्थना की है। उक्त प्रकरण में वादीगण के पूर्वाधिकारी की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्र0पी-15 पेश किया है।
26. अतः यद्यपि वादीगण उपरोक्त विवेचना अनुसार विवादित भूमि के मौरुसी कृषक होना प्रमाणित हुए हैं और उन्हें संहिता की धारा 190 के अधीन भूस्वामी के अधिकार भी उद्भूत हो चुके हैं परन्तु उन्होंने संहिता की धारा 195 के उल्लंघन में स्वत्व अंतरण किया है और उपरोक्तानुसार विवादित भूमि पर उनका अधिपत्य भी नहीं है और रघुनाथ का अधिपत्य होना वादीगण ने बताया है जबकि निर्णय प्र0डी-1 के अनुसार रघुनाथ का अधिपत्य भी प्रमाणित नहीं हुआ है अतः विवादित भूमि पर वादीगण का स्थापित अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है। संहिता की धारा 190 के अधीन वादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति भी भूस्वामी को नहीं दी गयी है। वादीगण ने मात्र घोषणा की प्रार्थना की जबकि उनका अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन भी जबकि वादीगण अधिपत्य मांगने की योग्यता रखते थे परन्तु उन्होंने अधिपत्य मांगने का लोप किया तब वह मात्र भूस्वामी की घोषणा प्राप्त करने के पात्र नहीं रहते हैं। अतः संहिता की धारा 195 के प्रभाव से वादीगण वर्तमान में मौरुसी कृषक की हैसियत से भूस्वामी घोषित किए जाने योग्य प्रमाणित नहीं होते हैं।
27. अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 03 व 04 पर सकारण निष्कर्ष //

28. उपरोक्त विवेचना अनुसार विवादित भूमि पर वादीगण का घोषित किए जाने योग्य स्वतः अथवा अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः अधिपत्य के अभाव में वादीगण के अधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा हस्तक्षेप किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। वादीगण ने इस संबंध में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है

कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि को हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहा है और विवादित भूमि पर वादीगण के स्वत्व के प्रमाण के अभाव में हस्तांतरण का प्रयास भी अवैध होना प्रमाणित नहीं होता है।

29. अतः वादप्रश्न क्रमांक 3 व 4 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 05 पर सकारण निष्कर्ष //

30. वर्तमान वाद स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है। **हरविलास बनाम जण्डेलसिंह व अन्य 1987 राजस्व निर्णय 167 एवं गजराजसिंह बनाम जगतसिंह व अन्य 1970 राजस्व निर्णय 133** में प्रतिपादित उपरोक्त विधि के अनुसार मौरूसी कृषक को स्वमेव पुनर्ग्रहण के अभाव में स्वत्व उद्भूत हो जाते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आवेदन प्र0पी-11 के अनुसार वर्ष 2014 में और आवेदन प्र0पी-14 के अनुसार वर्ष 2013 में सर्वप्रथम कार्यवाही की है और वर्तमान वाद मौरूसी कृषक होने से स्वत्व घोषणा हेतु वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण के अधिकार को प्रथम बार वर्ष 2013 में चुनौती दी गयी है। अतः परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 113 एवं 58 के अधीन विहित तीन वर्ष की परिसीमा अवधि में यह वाद प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः वाद परिसीमा अवधि में पेश किया जाना प्रमाणित होता है।

31. अतः वादप्रश्न क्रमांक 05 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 06 पर सकारण निष्कर्ष //

32. उपरोक्त वाद प्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर अनुतोष प्राप्ति हेतु वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वाद अस्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. वाद अस्वीकार किया गया।
2. प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)